14
135

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी–3–7/2002/1/3 भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– **शासकीय सेवकों की पदोन्नति समय पर करने बावत्।**
संदर्भः– अधिसूचना क्रमांक सी–3–18/2001/3/एक, दिनांक 11 जून, 2002 एवं परिपत्र क्रमांक सी–3–7/2002/3/एक दिनांक 06 जुलाई, 2002

कृपया उपरोक्त संदर्भित ज्ञापनों का अवलोकन करें। मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2002 के नियम–6(3),(4) एवं नियम 7(4),(5) में 01 जनवरी से 31 दिसम्बर के दौरान शासकीय सेवकों की पदोन्नति के लिए रिक्तियों की गणना किये जाने एवं पदोन्नति समिति की बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया है। यह देखने में आया है कि विभागों द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति समिति की बैठकें निर्धारित समय में आयोजित नहीं की जाती हैं जिसके कारण शासकीय सेवकों को समय पर पदोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। पदोन्नति समिति की बैठकें विलंब से आयोजित होने पर कई शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण वे पदोन्नति से वंचित रहते हैं और उन्हें पेंशन में हानि होती है। ऐसे शासकीय सेवक न्यायालय की शरण में जाते हैं और शासन को अनावश्यक रूप से न्यायालयीन प्रकरणों का सामना करना पड़ता है।

2/ अतः निर्णय लिया गया है कि प्रतिवर्ष 01 जनवरी से 31 दिसम्बर के दौरान पदोन्नति के लिये रिक्तियों की संख्या की गणना माह दिसम्बर के अंत तक निश्चित रूप से कर ली जाये ताकि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली पदोन्नति समिति की बैठकें जनवरी माह के प्रारम्भ में ही आयोजित की जा सके।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

(सुदेश कुमार)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 3–7/2002/1/3 भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2009

प्रतिलिपि –

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र.जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल,
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र.भोपाल
8. मंत्री/राज्य मत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र. भोपाल,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल,
10. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल,
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय, भोपाल,
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल,
18. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल,
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के.गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन
सामान्य प्रशासन विभाग